सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आश्विन, 1940 (श०)

संख्या- 920 राँची, शुक्रवार 28 सितम्बर, 2018 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

11 सितम्बर, 2018 ई० ।

विषयः- **मिलिट्री आपरेशन के दौरान कत्र्तव्य निर्वहनरत वीरगति प्राप्त करने वाले राज्य निवासी सैनिक के पत्नी/आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान एवं अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने के संबंध में ।**

संख्या- 18/विविध (7)11/17- 5193-- मिलिट्री आपरेशन के दौरान कर्तव्य निर्वहनरत शहीद झारखण्ड के निवासी सैनिकों की पत्नी / आश्रितों के पुनर्वास हेतु विशेष सुविधा/राहत प्रदान करने के निमित राज्य सरकार द्वारा संकल्प सं० - 2039, दिनांक 7 मई, 2003 निर्गत किया गया है । उक्त संकल्प में राज्य निवासी शहीद सैनिकों की पत्नी/आश्रित को निम्नांकित सुविधा प्रदान करने का प्रावधान हैः-

(i) वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों/आश्रितों के प्रति सम्मान एवं आभार का प्रदर्शन का आयोजन प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के दरम्यान किया जायेगा ।

(ii) वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नी अथवा किसी एक आश्रित को अनुग्रह अनुदान के रूप में 2,00,000/ (दो लाख) रूपये मात्र का पुरस्कार दिया जायेगा ।

(iii) वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नी/एक आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दी जायेगी किन्तु सरकारी नौकरी प्रदान करने के समय आश्वस्त हो लिया जायेगा कि मृत सैनिको के संबंधित पत्नी / आश्रित को तत्संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा नौकरी नहीं दी गयी हो ।

(iv) उपर्युक्त उल्लिखित विशिष्ट सुविधा उसी व्यक्ति को दी जायेगी जिसका सत्यापन सेना मुख्यालय द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र में किया जायेगा ।

2.(क) उक्त संकल्प को निर्गत हुए 15 वर्षो की लम्बी अवधि बीत चुकी है। मिलिट्री आपरेशन के दौरान कर्तव्य निर्वहनरत वीरगति प्राप्त करने वाले सैनिकों के आश्रितों को झारखण्ड राज्य द्वारा दी जाने वाली राशि की तुलना में अन्य राज्य द्वारा वर्तमान में दी जाने वाली राशि काफी ज्यादा है उदाहरण स्वरूप पड़ोसी राज्य बिहार द्वारा रू० 11,00,000/- (ग्यारह लाख) रूपये की राशि वीरगति प्राप्त करने वाले सैनिकों के आश्रित को दी जाती है। माननीय राज्यपाल झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 को सम्पन्न एकीकृत निधि की प्रशासन समिति (स्टैट मैनेजिंग कमेटी) की 12वीं बैठक में वीरगति प्राप्त करने वाले राज्य निवासी सैनिकों के आश्रितों को दी जानेवाली अनुग्रह अनुदान की राशि को रू० 2,00,000/- (दो लाख) रूपये से बढ़ाकर रू० 11,00,000/- (ग्यारह लाख) रूपये करने की अनुशंसा हुई है। **इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त विभागीय संकल्प संख्या 2039, दिनांक 7 मई, 2003 की कंडिका-2 (ii) का प्रतिस्थापन निम्नवत किया जाता हैः-**

"वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नी / आश्रित को अनुग्रह अनुदान स्वरूप में रू० 10,00,000/- (दस लाख) रूपये मात्र का अनुदान राशि प्रदान किया जायेगा।"

(ख) विभागीय संकल्प संख्या-2039, दिनांक 7 मई, 2003 की कंडिका-2 (ii) के उपर्युक्त संशोधित प्रावधान दिनांक 1 जून, 2018 के बाद घटित मामलों पर लागू होगे।

(ग) उपरोक्त प्रतिस्थापन के पश्चात संशोधित नीति का निरूपण निम्नवत् होगा:-

मिलिट्री आपरेशन के दौरान सीमा पर कर्तव्य निर्वहनरत वीरगति प्राप्त करने वाले राज्य निवासी सैनिकों के आश्रितों को पुनर्वास पैकेज के रूप में निम्नलिखित सुविधा / राहत प्रदान की जायेगी:-

(i) वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों/ आश्रितों के प्रति सम्मान एवं आभार का प्रदर्शन का आयोजन प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के दरम्यान किया जायेगा ।

(ii) वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नी/आश्रित को अनुग्रह अनुदान स्वरूप में रू० 10,00,000/- (दस लाख) रूपये मात्र का अनुदान राशि प्रदान किया जायेगा ।

(iii) वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नी / एक आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दी जायेगी किन्तु सरकारी नौकरी प्रदान करने के समय आश्वस्त हो लिया जायेगा कि मृत

सैनिक के संबंधित पत्नी/ आश्रित को तत्संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा नौकरी नहीं दी गई हो ।

3. उपर्युक्त कंडिका - 02 में उल्लिखित विशिष्ट सुविधा उसी व्यक्ति को दी जायेगी जिसका सत्यापन सेना मुख्यालय द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र में किया जायेगा ।

4. अनुग्रह अनुदान का भुगतान मुख्यशीर्ष 2052 - सचिवालय सामान्य सेवाएँ - 092 - अन्य कार्यालय - उपशीर्ष स्थल, जल, और वायु सैनिक का पर्षद मुख्यालय प्रभार के पुरस्कार मद से किया जायेगा ।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उपायुक्त होंगे जिसके लिए उन्हें गृह विभाग के द्वारा राशि आवंटित की जायेगी । बिहार कोषागार संहिता के नियम -148 के अन्तर्गत संबंधित जिला के उपायुक्त को उक्त शीर्ष के अन्तर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस प्रयोजन हेतु घोषित किया जाता है ।

6. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची इस कार्रवाई के लिए नोडल विभाग होगा ।

उपर्युक्त कंडिका-2 (ग) (ii) के संशोधित प्रावधान दिनांक 1 जून, 2018 के बाद घटित मामलों पर लागू होगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एस०के०जी० रहाटे,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 920 -- 50